

18/6/24

इसके अलावा वारी अनुपालित अथवा
नापाली गरी इतिवत्त वारी
अथवा वारी लिये उपलब्ध नहीं है।
अतः वार पर अनुसूचित वर्गों के
एके अनुसूचित जाति 9 किताब 2 जा. वी.
के तहत खरीज किया जा रहा है। (पत्राचार)
के द्वारा अनुसूचित वर्गों के कार्य है।

(वी. वेंकट)
सहायक कमिश्नर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (सज.)